उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(उपखण्ड अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 69/2016 निर्णय दिनांक :– 22.01.2021

प्रार्थना पत्र :

मेवा बनाम सुखदेवा जाति बैरवा उम्र 60 वर्ष निवासी डाटून्दा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.) –प्रार्थी–

बनाम

तहसीलदार तहसील कार्यालय दूनी जिला टोंक (राज.) – अप्रार्थी–

उपस्थिति :–
श्री रमेश चन्द शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थी

पेरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजीयात हाल खाता संख्या 203 खसरा नम्बर 1353 रकबा 1.04 है0, खसरा नम्बर 1361 रकबा 1.79 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.83 है0 वाके ग्राम तनग्राम डाटून्दा पटवार हल्का घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त वर्णित भूमि के 1/2 हिस्से का खातेदार पूर्व में प्रार्थी का काका रामदेव था। रामदेव की मृत्यु के बाद प्रार्थी ही रामदेव का एकमात्र वारिस था। इस कारण रामदेव के हिस्से की भूमि का नामान्तकरण प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर दिया गया था। परन्तु मेवा पुत्र सुखदेवा के स्थान पर मेवा पुत्र रामदेवा अंकित कर दिया गया है जो कि गलत है। अन्य सभी दस्तावेजात में प्रार्थी का मेवा पुत्र सुखदेवा ही अंकित हैं तथा उक्त वर्णित सम्पूर्ण भूमि पर प्रार्थी की काबिज–काश्त है। अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व अधिकार नही है एवं मेवा पुत्र रामदेवा जाति बैरवा का कोई व्यक्ति ग्राम डान्टूदा में नही रहता है। प्रार्थी ही रामदेवा का वारिस था और प्रार्थी सुखदेवा बैरवा का पुत्र है। अतः प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती पेश कर निवेदन है कि उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम मेवा पुत्र रामदेवा के स्थान पर मेवा पुत्र सुखदेवा दर्ज कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावें।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी सं. 1 तहसीलदार दूनी की और से पेरोकार सरकार ने संशोधित जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः– बिन्दु संख्या 1 मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है। बिन्दु संख्या 2 अस्वीकार है। प्रार्थी ने अवगत कराया है कि वर्णित भूमि पर प्रार्थी के काका रामदेव का

जिसका प्रार्थी अकेला वारिस है। सरपंच ग्राम पंचायत घाड़ द्वारा जारी [illegible] में रामदेव के अन्य भी वारिस है। जिसको प्रार्थी ने नही दर्शाया है। बिन्दु [illegible] प्रार्थी ने दर्शाया है कि मेवा पुत्र रामदेवा नाम का कोई व्यक्ति नही है जबकि [illegible] भूमि भी प्रार्थी मेवा पुत्र रामेदव के नाम दर्ज रिकार्ड है। अतः बिन्दु 1 से 3 [illegible] है। <u>अतिरिक्त कथनः–</u> श्रीमान वर्णित प्रार्थना पत्र में पूर्व में भी पैरोकार राज द्वारा [illegible] प्रस्तुत किया गया था जिसमे मेवा पुत्र रामदेव व मेवा पुत्र सुखदेव दोनो एक ही [illegible] होना दर्शाया है। जबकि रामदेव व सुखदेव दोनो भाई थे एवं अलग–2 व्यक्ति थे। प्रार्थी ने एलआर एक्ट 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो मानने योग्य नही है। प्रार्थी घोषणात्मक दावा कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र में वर्णित भूमि में प्रार्थी के अलावा अन्य वारिस भी है। अतः घोषणात्मक दावा कर ही अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

संलग्न :– सरपंच ग्राम पंचायत घाड़ द्वारा जारी प्रमाण पत्र मूल ही

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को ही दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के काका के कोई सन्तान नहीं होने से प्रार्थी की उसका जायज वारिस है जिसके कारण नामान्तकरण खोलते समय मेंवा पुत्र सुखदेवा के स्थान पर मेवा पुत्र रामदेव राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर दिया गया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। ।

पेरोकार सरकार ने जवाब को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी व पेरोकार सरकार की बहस व पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2068–71 वाके ग्राम डाटून्दा के खाता संख्या 203 मेवा पुत्र सुखदेवा व मेवा पुत्र रामदेव जाति बैरवा दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थना पत्र के अनुसार रामदेव का एकमात्र वारिस प्रार्थी ही है जबकि सजरे अनुसार रामदेवा के दो पुत्रियां है जिनमें से एक फौत हो चुकी है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र को दस्तावेज से साबित नही करने तथा उक्त त्रुटि अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट के प्रावधानो से परे होने के कारण प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली